रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2015/भाद्र 9, 1937
No. 225] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2015/BHADRA 9, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क सुरक्षा)

संकल्प

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2015

सं. आरटी-25014/1/2015-आरएस.—मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथा संशोधित 16 मई, 1991 के संकल्प संख्या आरटी-23018/3/88-टी का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष परिषद का सहर्ष पुनर्गठन करते हैं जो इस प्रकार है :—

क्र.सं.	विवरण	संख्या	संक्षिप्त टिप्पणी
1	2	3	4
क.	सरकारी सदस्य		
1.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री	1	अध्यक्ष
2.	सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री	1	उपाध्यक्ष
3.	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रभारी सड़क परिवहन मंत्री	35	सदस्य
4.	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महानिदेशक/महानिरीक्षक	35	सदस्य
5.	केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि	9	सदस्य
	i) गृह मंत्रालय		
	ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
	iii) रेल मंत्रालय		

iv) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

v) भारी उद्योग विभाग

vi) पर्यावरण और वन मंत्रालय

vii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

viii) शहरी विकास मंत्रालय

ix) नीति आयोग

6.	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य
7.	अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	1	सदस्य
8.	महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य
9.	संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य सचिव
ख.	**गैर सरकारी सहयोजित सदस्य**		
10.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति	5	सदस्य

i) श्री एस.सी.नागपाल, 20 चानन सिंह पार्क (एफएफ), किरबी प्लेस, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली-110010

ii) श्री आर. प्रतीप कुमार, 299, रेलवे स्टेशन रोड़, कावरईपेट्ई, गुम्मीड़ीपूंडी तालुक, जिला तिरूवल्लूर-601206, तमिलनाडु

iii) श्री टी.जी. सूर्याबाबू, 6/12, देवर स्ट्रीट, न्यू गुम्मीड़ीपूंडी, चेन्नई-601201, तमिलनाडु ।

iv) डा. कमल सोई, 2208, फेस-2, अर्बन इस्टेट, डुगरी रोड़, लुधियाना।

v) श्री रमेश नारायणराव दलाल, 51 गोविंद नगर, वर्धा मार्ग, नागपुर-440025

11.	सड़क निर्माण, सड़क सुरक्षा और बीमा से संबंधित सरकारी संस्थाएं	8	सदस्य

i) निदेशक, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

ii) निदेशक, केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे

iii) अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद

iv) अध्यक्ष, जीवन बीमा निगम, मुंबई

v) निदेशक, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे

vi) मुख्य आयुक्त, रेल सुरक्षा, नई दिल्ली

vii) निदेशक, व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, अहमदनगर

viii) निदेशक, आईआईपी देहरादून, उत्तरांचल

12. सड़क सुरक्षा से संबंधित एसोसिएशन 7 सदस्य

i) अध्यक्ष/ सचिव, सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स, नई दिल्ली

ii) अध्यक्ष/सचिव, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

iii) कार्यकारी निदेशक, राज्य सड़क परिवहन उपक्रम एसोसिएशन, नई दिल्ली

iv) अध्यक्ष, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली

v) अध्यक्ष, अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस, नई दिल्ली

vi) अध्यक्ष, आल इंडिया कंफेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल ऑनर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली

vii) ~~अध्यक्ष, आल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स~~

डिपार्टमेंट टेक्निकल एक्जीक्यूटीव आफिसर्स एसोसिएशन, कर्नाटक ।

2. समिति के विचारणीय विषय और कार्य इस प्रकार होंगे :-

i) सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा के मानकों, नीतियों के नियोजन और समन्वय से संबंधित सभी मामलों में परामर्श देना;

ii) राज्य सड़क सुरक्षा संगठनों और सड़क परिवहन की प्रभारी अन्य राज्य एजेंसियों द्वारा लागू किए जाने के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करना और उनकी अनुशंसा करना;

iii) सड़क दुर्घटना सांख्यिकी रखने और उसके विश्लेषण के साथ-साथ सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा पहलुओं के सुधार के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों का सुझाव देना;

iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा किए गए सड़क सुरक्षा उपायों पर केंद्रीय स्तर पर सामान्यत: निगरानी रखना ।

3. यह परिषद अपने संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विधि निर्धारित करेगी ।

4. परिषद की एक वर्ष में न्यूनतम एक बार बैठक होगी । क्रम संख्या 10 पर गैर सरकारी सहयोजित सदस्यों को इंडियन एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास से की गई विमान यात्रा अथवा वास्तविक यात्रा जो भी कम हो, के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

5. उपर्युक्त सहयोजित संस्थागत/व्यक्तिगत सदस्यों का कार्यकाल इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा ।

6. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की सिफारिशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का भी गठन किया जाएगा और इसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न संगठनों अर्थात् मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्यों के परिवहन/पुलिस विभाग और अन्य एजेंसियों के सदस्य होंगे । निदेशक (सड़क सुरक्षा) समिति के सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे । यदि आवश्यकता हो तो कार्यकारी समिति को उप-समिति बनाने और जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त सदस्य सह-योजित करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाएगा । समिति के अध्यक्ष किसी अन्य विषय-विशेषज्ञ को समिति के सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकेंगे ।

[सं. आर टी-25014/1/2015-आरएस]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(ROAD SAFETY)

RESOLUTION

New Delhi, the 31st August, 2015

No. RT-25014/1/2015-RS.—In exercise of the powers conferred under Section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988 and in supersession of Resolution No. RT-23018/3/88-T dated 16th May, 1991 as modified from time to time, the Chairman, National Road Safety Council is pleased to re-constitute the Council as under:

S.No.	Particulars	No.	Brief Remarks
1.	2	3	4
A.	**Official Members:**		
1)	Minister for the Ministry of Road Transport & Highways	-1-	Chairman
2)	Minister of State for the Ministry of Road Transport & Highways	-1-	Vice-Chairman
3)	Ministers in-charge of Road Transport of all States/UTs	-35-	Members
4)	DGs/IGs of all States/UTs.	-35-	Members
5)	Representatives from Central Ministries/ Departments i) M/o Home Affairs, ii) M/o Human Resource Development, iii) M/o Railways, iv) M/o Petroleum & Natural Gas, v) Department of Heavy Industry, vi) M/o Environment and Forests, vii) M/o Health & Family Welfare, viii) M/o Urban Development ix) NITI AAYOG	-9-	Members
6)	Secretary, M/o Road Transport & Highways	-1-	Member
7)	Chairman, National Highways Authority of India	-1-	Member
8)	Director General (Road Development) & Spl. Secretary, M/o Road Transport & Highways	-1-	Member
9)	Joint Secretary (Transport), M/o Road Transport & Highways	-1-	Member Secretary

B **NON-OFFICIAL Co-opted Members**

10) Individuals nominated by Minister for Road Transport & Highways -5- Members

i) Shri S. C. Nagpal, 20 Chanan Singh Park (FF), Kirby Place, Delhi Cantt., New Delhi -110010

ii) Shri R. Pratheep, Kumar, 299, Railway Station Road, Kavaraipettai, Gummidipoondi Taluk, Thiruvallur Dist.-601206, Tanil Nadu.

iii) Shri T. G. Suriyababu, 6/21, Devar Street, New Gummidipundi, Chennai – 601201, Tamil Nadu.

iv) Dr. Kamal Soi, 2208, Phase 2, Urban Estate, Dugri Road, Ludhiana

v) Shri Ramesh Narayanrao Dalal, 51 Govind Nagar, Vardhaa Marg, Nagpur - 440025

11) Government Institutions related to Road Construction, Road Safety and Insurance -8- Members

i) Director, Central Road Research Institute, New Delhi

ii) Director, Central Institute of Road Transport, Pune

iii) Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad

iv) Chairman, Life Insurance Corporation, Mumbai

v) Director, Automotive Research Association of India, Pune

vi) Chief Commissioner, Railway Safety, New Delhi

vii) Director, Vehicle Research Development Establishment, Ahemednagar,

viii) Director, I.I.P. Dehradun, Uttaranchal

12) Association related with Road safety -7- Members

i) President/Secretary, Society of India Automobile Manufacturers, New Delhi.

ii) President/Secretary, Automobile Association of India, New Delhi

iii) Executive Director, Association of State Road Transport Undertakings, New Delhi

iv) President, Automotive Component Manufacturers Association, New Delhi

v) President, All India Motor Transport Congress, New Delhi

vi) All India Confederation of Goods Vehicle Owners Association, New Delhi

vii) President, All India Federation of Motor Vehicles Department Technical Executive Officer's Associations, Karnataka

2. Terms of References and functions of the Committee shall be:

i) To advise on all matters pertaining to planning and coordination of policies, standards of safety in the road transport sector;

ii) To formulate and recommend road safety programmes for implementation by State Road Safety Organizations as also other State agencies in-charge of road transportation;

iii) To suggest areas for research and development to improve safety aspects in the road transport sector including maintenance of statistics of road accidents and their analysis;

iv) To generally oversee and monitor at Central level, the road safety measures undertaken by States/UT agencies.

3. The Council shall decide the procedure and methodology to be adopted for its functioning.

4. The Council will hold its meeting at least once a year. TA/DA shall be paid to the Non-Official Co-opted Members at Serial No. (10) for the journey undertaken by air by economy class in Indian Airlines or actual whichever is less.

5. The tenure of the above co-opted institutional/ individual members will be for a period of two years from the date of issue of this Resolution.

6. An Executive Committee will also be constituted under the chairmanship of Secretary (RT&H) and members from different organizations dealing with Road Safety issues viz Ministries/Departments, Transport/Police Department of all States and other agencies to ensure effective implementation of the recommendations of NRSC. Director (RS) will act as a member-secretary of the Committee. The Executive Committee may also be authorized to form sub-committees, if required and co-opt additional members, wherever necessary. The chairman of the committee may co-opt any other subject expert as a member of the committee.

[No. RT-25014/1/2015-RS]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.